

कलम ४ (१) (ब) (XVII)

जिल्हा परिषद सांगली येथील  
आरोग्य विभाग कार्यालयातील  
प्रकाशित माहिती २०१५

# माहिती अधिकार अधिनियम २००५

## कलम ४ ची माहिती



सूचना का  
अधिकार



आरोग्य विभाग, जि.प., सांगली

| कलम २ (ज) नमुना                                      |   |                                |                                    |
|--|---|--------------------------------|------------------------------------|
| सार्वजनिक प्राधिकरणांची खातेनिहाय यादी               |   |                                |                                    |
| (कलम २ (ज) घमाहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ ड नुसार)   |   |                                |                                    |
| खात्याचे नांव : - आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली |   |                                |                                    |
| कलम २ (ज) (क) (ख) (ग) (घ) नुसार                      |   |                                |                                    |
| अ.क्र  | सार्वजनिक प्राधिकरणाची निर्मिती<br>कारकानुसार विभागणी             | सार्वजनिक प्राधिकरणाचे<br>नांव | ठिकाण /संपूर्ण पत्ता               |
| १  | राज्यघटनेतच अनुस्यूत किंवा राज्यघटने नुसार निर्मिती               | -                              | -                                  |
| २  | संसदेने पारित केलेल्या कायद्यामुळे निर्मिती                       | -                              | -                                  |
| ३  | विधानमंडळाने पारित केलेल्या कायद्यामुळे निर्मिती                  | -                              | -                                  |
| ४  | संबंधित राज्य वा केंद्र शासनाच्या परिपत्रकाने वा आदेशाने निर्मिती | जिल्हा आरोग्य अधिकारी          | आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली |

| कलम २ (ज) नमुना खड  |  |                                |                                       |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| भरीव प्रमाणात शासकीय अर्थसाहाय्य मिळत असलेल्या सार्वजनिक प्राधिकरणांची यादी |  |                                |                                       |
| (कलम २ (ज) घमाहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ ड नुसार)                          |  |                                |                                       |
| खात्याचे नांव : - आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली                        |  |                                |                                       |
| कलम २ (ज) (घ) (एक) (दोन) नुसार  |  |                                |                                       |
| अ.क्र   | सार्वजनिक प्राधिकरणांची<br>अर्थसाहाय्यानुरूप विभागणी                 | सार्वजनिक प्राधिकरणाचे<br>नांव | ठिकाण /संपूर्ण पत्ता                  |
| १   | पूर्णतः ताब्यातील अथवा भरीव प्रमाणात<br>अर्थसाहाय्य केलेले प्राधिकरण | जिल्हा आरोग्य अधिकारी          | आरोग्य विभाग, जिल्हा<br>परिषद, सांगली |
| २   | भरीव प्रमाणात अर्थसाहाय्य केलेली<br>अशासकीय संस्था.                  | -                              | -                                     |

कलम ४ (१) (ख) (एक)

| आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद,सांगली या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामांचा आणि कर्तव्याचा तपशिल  |   |
|--|---|
| १) सार्वजनिक प्राधिकरणांचे नांव  | आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद,सांगली  |
| २) संपूर्ण पत्ता   | जिल्हा परिषद,सांगली,मिरज रोड,सांगली   |
| ३) कार्यालय प्रमुख   | जिल्हा आरोग्य अधिकारी   |
| ४) कोणत्या खात्याच्या अधिनस्त हे कार्यालय आहे?   | ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग  |
| ५) कामाचा अहवाल कोणत्या कार्यालयाकडे सादर केला जातो?   | मा.संचालक,आरोग्य सेवा,मुंबई व मा.उपसंचालक,आरोग्य सेवा,कोल्हापूर मंडळ,कोल्हापूर  |
| ६) कार्यकक्षा : भौगोलिक  | सांगली जिल्हयातील ग्रामीण विभागात आरोग्य सेवा पुरविणे   |
| ७) अंगीकृत व्रत (Mission) (*)  | सार्वजनिक आरोग्य विभाग,महाराष्ट्र राज्य   |
| ८) ध्येय /धोरण (Vision) (**)   | ग्रामीण विभाग आरोग्य सेवा पुरविणे,साथरोग प्रतिबंध व वेळीच उपायोजना करणे,जिल्हयामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र,आयुर्वेदिक दवाखाना,अॅलोपेथीक यांचे कामकाज सुरळीतपणे ठेवणे, जिल्हयातील वेगवेगळ्या आरोग्य संस्थांचे लेखापुस्तके व प्रशासकीय लेखे व्यवस्थातपणे राखणे |
| ९) साध्य   | ठरवून दिलेल्या ध्येय धोरणानुसार वेळेत साध्य पूर्ण केलेले आहे.   |
| १०) प्रत्यक्ष कार्य  | ग्रामीण भागामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र सुरु करणे व या केंद्रांना कर्मचारी,साधनसामुग्री व औषधे यांचा पुरवठा करणे व आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवणे.  |
| ११) जनतेला देत असलेल्या सेवांचा धोडक्यात तपशिल   | ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे,आयुर्वेदिक दवाखाने व उपकेंद्रे यांचमार्फत प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक आरोग्य सेवा पुरविणे  |
| १२) स्थावर मालमत्ता (येथे तुमच्या प्राधिकरणाचे जमिन,इमारत आणि अन्य स्थावर मालमत्तेचा तपशिल   | प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राच्या इमारती,निवासस्थाने व वाहने   |
| १३) प्राधिकरणाच्या संरचनेचा तक्ता (वंशवृक्षाचा तक्ता जसा असतो तसा तक्ता काढून,प्रत्येक पातळीवर कार्यकक्षा व संपर्काच्या पत्याशी त्याची जोड घालून दाखवावी)        | प्राधिकरणाच्या संरचनेचा तक्ता सोबत जोडणेत आलेला आहे.  |
| १४) कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक व वेळा (सर्व दूरध्वनी क्रमांक,फॅक्स क्रमांक,ई-मेल आणि कार्यालयीन कालानंतर संपर्काचा तातडीचा क्रमांक असेल तर तोही क्रमांक द्यावा) | ०२३३ - २३७३०३२, २३७४४६२ / वेळ - १०.०० ते ५.४५   |
| १५) साप्ताहिक सुट्टी आणि विशेष सेवांचा तपशिल   | १ मे ते ३१ ऑक्टोबर या वेळी कार्यालय २४ तास सुरु राहते.  |



कलम ४ (१) (ख) (दोन) नमुना क

जिल्हा आरोग्य अधिकारी येथील आरोग्य विभाग यांचे कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारकक्षा  
(क)

| अ. क्रं. | अधिकारपद                              | आर्थिक अधिकार  | संबंधित कायदा/नियम/<br>आदेश/राजपत्र             | शेरा<br>(असल्यास) |
|----------|---------------------------------------|--|---|-------------------|
| १        | जिल्हा आरोग्य अधिकारी                 | खाते प्रमुख व आंहरण व संवितरण<br>अधिकार                      | मा.मु.का.अ.जि.प.सांगली यांचेकडील<br>दि.१/११/०६. |                   |
| २        | अति.जिल्हा आरोग्य अधिकारी             | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| ३        | जिल्हा प्रजनन व बाल आरोग्य अधिकारी    | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| ४        | प्रशासकीय अधिकारी                     | वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांचे प्रकरणी<br>आहरण संवितरण अधिकार | -----    -----                                  |                   |
| ५        | वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा प्रशिक्षण पथक | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| ६        | कक्ष अधिकारी                          | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| ७        | सहाय्यक लेखाधिकारी                    | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| ८        | अधिक्षक                               | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| ९        | कनिष्ठ लेखाधिकारी                     | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| १०       | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा                   | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| ११       | वरिष्ठ सहाय्यक लिपीक                  | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| १२       | कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक                  | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| १३       | साथरोग वैद्यकीय अधिकारी               | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| १४       | आरोग्य पर्यवेक्षक                     | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| १५       | सांख्यिकी पर्यवेक्षक                  | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| १६       | विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)           | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| १७       | आरोग्य सहाय्यक (पुरुष)                | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| १८       | आरोग्य सहाय्यक (महिला)                | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| १९       | आरोग्य सेवक (पुरुष)                   | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| २०       | आरोग्य सेवक (महिला)                   | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| २१       | औषध निर्माता                          | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| २२       | शितसाखळी तंत्रज्ञ                     | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| २३       | छायाचित्रकार                          | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| २४       | वाहनचालक                              | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| २५       | हवालदार                               | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |
| २६       | परिचर                                 | अधिकार नाहीत   | -----    -----                                  |                   |

कलम ४ (१) (ख) (तीन)

कलम ४ (१) (ख) (दोन) नमुना ख

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली या सार्वजनिक प्राधिकारणात कोणताही निर्णय घेताना पाळली जाणारी निर्णय प्रक्रियेचे आणि त्यावरील देखरेखीची पध्दत आणि सोपवलेले व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

| अ.क्रं | कामाचे स्वरूप         | कामाचे टप्पे | अपेक्षित कालावधी         | प्रत्येक कामाबाबत आणि प्रत्येक टप्प्यावर कर्मचा-यांची व अधिका-याची भूमिका आणि जबाबदारी  | शेरा (असल्यास) |
|--------|-----------------------|--------------|--------------------------|---|----------------|
| १      | आस्थापना विषयक कामकाज | २            | कामाचे स्वरूपानुसार      | आस्थापना विषयक सर्व कामकाज वेळेत पूर्ण करणे.  |                |
| २      | विविध योजना राबविणे   |              | योजना निहाय              | योजनेतील निकषा प्रमाणे योजना निहाय सर्व योजना आखणे, पूर्ण करणे व लाभार्थीस लाभ देणे.  |                |
| ३      | आरोग्य विषयक योजना    |              | योजने नुसार विहित केलेला | आरोग्य विषयक सर्व योजना प्रा.आ.केंद्रा पर्यंत पोहचविणे, लाभार्थींना लाभ देणे व शासनाने ठरवून दिलेले लसीकरण, पल्स पोलीओ या सारखे राष्ट्रीय कार्यक्रम विहित वेळेत पूर्ण करणे. |                |



**कलम ४ (१) (ख) (चार) नमुना क**  
**आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली या सार्वजनिक प्राधिकरणात होणा-या कामासंबंधी**  
**सर्वसामान्यपणे ठरविलेली भौतिक व आर्थिक उद्दिष्टे संस्थापातळीवर ठरवलेले मासिक /**  
**त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक उद्दिष्टे**

| अ क्रं. | अधिकारपद              | काम   | भौतिक उद्दिष्टे (एकांकात) | आर्थिक उद्दिष्टे (रु)   | कालावधी             | शेरा (असल्यास) |
|---------|-----------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
|         | जिल्हा आरोग्य अधिकारी | राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम                           | १२१००                     | १४,००,०००/- ( एनआरएचएम) | १/१/१४/ ते ३१/१२/१४ | -              |
| २       |                       | हृदयरोग/<br>मुत्रपिंडरोपन/<br>कॅन्सर<br>शस्त्रक्रिया<br>मदत |                           | २०,००,०००               | ----    -----       |                |
| ३       |                       | सावित्रीबाई<br>फुले कन्या<br>कल्याण<br>योजना                |                           | १५,००,०००               | ----    -----       |                |

**कलम ४ (१) (ख) (पाच) नमुना क**  
**आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद,सांगली या सार्वजनिक प्राधिकरणात होणा-या कामासंबंधी**  
**सर्वसामान्यपणे आखलेले नियम**

| अ.क्रं | विषय   | संबंधित शासकीय निर्णय / कार्यालयीन आदेश/नियम/राजपत्र वरेंगैचा क्रमांक व तारीख | शेरा (असल्यास) |
|--------|--|---|----------------|
| १      | जि.प.कर्मच्या-याचे गो.अ.लिहणे व जतन करणे   | महा.साप्रवि/निर्णय क्र.सीएफ-आर-१२११/प्र.क्र.२१७/तेरा दि.१७डिसेंबर २०११        |                |
| २      | गट ड गटातील कर्मच्या-याचे गोपनीय अहवाल लिहण्याची पध्दत बंद करण्याबाबत  | महा.शासन साप्रवि/निर्णय दि.२६/७/१९९४  |                |
| ३      | जि.प.कर्मच्या-यांना स्थायित्वाचा लाभ देणे  | महा.शासन साप्रवि निर्णय दि.१९/९/७५  |                |
| ४      | जि.प.कर्मचा-याचे आधिकृत गैरहजेरी बाबत  | महा.शासन ग्राविवि परित्रक दि.१८/५/९५  |                |
| ५      | जि.प.कर्मचा-याच्या(वर्ग ३ व ४) अनाधिकृत गैरहजेरी बाबत करावयाच्या कार्यपध्दती बाबत                                  | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.२२/२/२०००                                  |                |
| ६      | जि.प.पदाधिकारी,अधिकारी व पं.स.सभापती यांच्या निवासस्थानी पुरविलेल्या दुरध्वनी बाबत                                 | महा.शासन ग्राविवि निर्णय दि.१५/६/९९   |                |
| ७      | राज्य शासकीय कर्मच्या-यांना सेवातर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत   | महा.शासन वित्त विभाग निर्णय क्र.२०/७/०१                                       |                |
| ८      | गट क व ड (वर्ग ३ वर्ग ४) मधील कर्मचा-यांना पदेन्नती संधी उपलब्ध नसल्याने असलेली कुंठीतता घालविणे संबंधी योजना      | महा.वित्त निर्णय दि.३/८/०१  |                |
| ९      | शासकीय निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थामधील सेवामध्ये महिला करिता ३० टक्के जागा आरक्षित ठेवणे                      | महा.शासन ग्राविवि निर्णय दि.२२/६/९४   |                |
| १०     | शासकीय निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थामधील सेवामध्ये महिला करिता ३० टक्के जागा आरक्षित ठेवणे                      | महा.शासन ग्राविवि निर्णय दि.१५/५/९५   |                |
| ११     | आर.के.सबरवाल आणि इतर विरुद्ध पंजाब राज्य प्रकरणी सर्वोच्च यायालयाच्या नि-नकालाच्या अनुषंगाने आरक्षणाचे बाबतचे आदेश | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.१८/११/९७                                   |                |
| १२     | शासकीय सेवेत असताना दिवंगत अकाली सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना - तातेवाईकास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणे बाबत | महा.शासन साप्रवि/निर्णय दि.९/९/९९   |                |
| १३     | अनु.जमाती उमेदवारांच्या जाती प्रमाणपत्राची दाव्याची तपासणी , तपासणी समितीच्या कामाचे स्वरूप व अधिकाराबाबत          | महा.शासन आदिवासी विकास नि-र्णय क्र.९/९/९९                                     |                |
| १४     | अनु.जमातीच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी समितीची पुनरचना  | महा.शासन आदिवासी विकास नि-र्णय दि.६/९/९९                                      |                |
| १५     | अनुजमातीच्या शासन सेवेत, नि  | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक   |                |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    | नमशासकीय सेवेत शासन अंगिकृत संस्थाच्या सेवेत , नियुक्ती करण्याआधी अनुजमातीच्या प्रमाणपत्राबाबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत                  | दि.१४/९/०१                                  |  |
| १६ | शासकीय सेवेत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणे बाबत   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.१९/४/०१  |  |
| १७ | शासकीय सेवेत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणे बाबत   | महा.शासन साप्रवि/निर्णय दि.२८/३/०१          |  |
| १८ | ई-मेलद्वारे पत्रव्यवहार करणे बाबत   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.२०/९/०१  |  |
| १९ | जि.प.कर्मचारी (वर्ग ३ व ४ )च्या सर्वसाधारण बदल्या बाबत मार्गदर्शक तत्वे   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.२/५/०१   |  |
| २० | जि.प.कर्मचारी (वर्ग ३ व ४ )च्या सर्वसाधारण बदल्या बाबत मार्गदर्शक तत्वे   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.१/१२/०१  |  |
| २१ | आंतर जिल्हा अदलीने नेमणुक देण्या बाबत   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.९/११/०१  |  |
| २२ | आंतर जिल्हा अदलीने नेमणुक देण्या बाबत   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.३१/८/०१  |  |
| २३ | आंतर जिल्हा अदलीने नेमणुक देताना बिंदू - नामावलीचा वापर करणे बाबत   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.११/८/०१  |  |
| २४ | शासकीय सेवेतील विवाहित महिला कर्मचा-याच्या बदल्या -सर्व साधारण तत्वे  | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.१४/३/०१  |  |
| २५ | पती/पती एकत्रिकरणानुसार बदल्या करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे  | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.२९/३/०१  |  |
| २६ | जि.प.कर्मचा-याचे निलंबनाबाबत  | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.४/६/९०   |  |
| २७ | जि.प.कर्मचा-यांच्या विरुद्धच्या विभागीय चौकशी त्वरीत निकाली काढल्या बाबत विभागीय चौकशीच्या विलंबाला कारणीभूत असलेल्या सर्वसाधारण त्रुटी व कारणे | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.२४/१०/८६ |  |
| २८ | जि.प.कर्मचा-यांना अत्युकृष्ट कामासाठी आगाडु वेतावाढी मंजुर करण्याबाबत   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.२०/६/८९  |  |
| २९ | जि.प.कर्मचा-यांना अत्युकृष्ट कामासाठी आगाडु वेतावाढी मंजुर करण्याबाबत   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.३१/१०/८९ |  |
| ३० | जि.प.कर्मचा-यांना अत्युकृष्ट कामासाठी आगाडु वेतावाढी मंजुर करण्याबाबत   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.२९/१०/९० |  |
| ३१ | जि.प.(वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचा-यांच्या संदर्भात खटला भरण्यास परवागी   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.१८/१०/८८ |  |
| ३२ | ग्रा.प.व प.स अधिका-यांनी करावयाचे दौरे व रात्रीचे मुक्कामा बाबत   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.२१/७/८६  |  |
| ३३ | खाते निहाय चौकशी प्रलंबित असताना दयावयाचे पदोन्नती बाबत   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.२/४/७५   |  |
| ३४ | महा.जि.प.जि.से.(शिस्त व अपील) नियम १९६४ नुसार जि.प.कर्मचा-यांच्या विरुद्ध करावयाच्या कार्यवाही बाबत   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.२६/६/८९  |  |
| ३५ | जि.प.व पं.स.मधील निधीची अफरातफर   | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक             |  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | अफरातरीची प्रकरणे व पुनर्वियोजनाची प्रकरणे त्यावर घ्यावची कार्यवाही बाबत   | दि.१८/७/८९                                  |  |
| ३६ | कार्यालयीन उपस्थिती-उशिरा उपस्थितीची तपासणी  | महा.शासन ग्राविवि कडील परिपत्रक दि.३१/१०/९२ |  |
| ३७ | रोजंदारी तसेच कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मच्या-यांना या.कालेलकर करारानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबत  | महा.शासन सा.बा.वि.निर्णय दि.२४/४/०१         |  |
| ३८ | प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींना शासकीय सेवेतील वर्ग ३ वर्ग ४ मधील भरती बाबत प्राधम्यक्रम देणे बाबत  | महा.शासन साप्रवि निर्णय दि.२१/१/८०          |  |
| ३९ | महा.दुय्यम सेवा निवड मंडळ व प्रादेशिक दुय्यम सेवा निवड मंडळ -प्रकल्पग्रस्तांच्या - नेमणुका कक्षेतुन वगळणे बाबत   | महा.शासन साप्रवि निर्णय दि.१८/६/९०          |  |
| ४० | प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गातील सर्वोच्च प्राधम्यक्रम देउन ५ टक्यापर्यंत पदावर करावयाच्या - नेमणुका  | महा.शासन साप्रवि निर्णय दि.२०/३/९३          |  |
| ४१ | शासन सेवेत नियुक्तीसाठी प्रकल्पग्रस्तसाठी असलेल्या ५ टक्के आरक्षणामध्ये भुंकपग्रस्तांचा समावेश करणे बाबत   | महा.शासन साप्रवि निर्णय दि.९/८/९५           |  |
| ४२ | प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबू असलेल्या व्यक्तीच्या नेमणुका दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतुन वगळल्या बाबत  | महा.शासन साप्रवि निर्णय दि.३/१/९७           |  |
| ४३ | प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीस शासकीय सेवेतील गट क आणि गट ड मधील पदावर नियुक्ती देण्याबाबत अनुसरावची कार्यपध्दती   | महा.शासन साप्रवि निर्णय दि.१३/९/२०००        |  |
| ४४ | पदनिर्मिती पदभरती व पदाचे पुनर्विलोकन या बाबतचे निर्बंध व अनुषंगिक आढावे आणि अतिरिक्त संवर्ग योजनांतर्गत कक्षाची स्थापना व त्याचे व्यवस्थापन                                       | महा.शासन साप्रवि निर्णय दि.१०/९/०१          |  |
| ४५ | चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांना पदोन्नती देणे बाबत  | महा.शासन साप्रवि निर्णय दि.१५/४/९१          |  |
| ४६ | पदोन्नती नाकारल्यामुळे उदभवणारे परिणाम व त्या बाबत अवलंबण्याची कार्यवाही   | महा.शासन साप्रवि निर्णय दि.३०/४/९१          |  |
| ४७ | राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात आदिवासी भागात मान्यताप्राप्त सामाजिक व आरोग्य कार्यकर्ती नियुक्ती बाबत  | ३ जूलै २००७                                 |  |
| ४८ | राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत राज्य आदिवासी भागात मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ती या योजनेसाठी राज्य आणि जिल्हा व तालूकास्तरावर कार्यबल गटाची स्थापना करण्याबाबत | १०/१/२००७                                   |  |
| ४९ | आशा स्वयसेविकांना प्रोत्साहनपर रक्कम   | ११/२३/२००७                                  |  |

|    |  |            |  |
|----|--|------------|--|
|    | अदा करणे बाबत  |            |  |
| ५० | आशा स्वयंसेविकेसाठी आधारभूत यंत्रणा विकसीत करणे बाबत   | १२/११/२००७ |  |
| ५१ | राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातर्गत आशा स्वयंसेविका योजना - आशा स्वयंसेकवकांना प्रात्साहनपर रक्कम अदा करणेबाबत                               | १/३१/२००८  |  |
| ५२ | आशा स्वयंसेविकांना द्यावयाच्या औषधांबाबत   | २/२९/२००८  |  |
| ५३ | आशा स्वयंसेविका योजना आधारभूत योजना विकसित करणे बाबत   | ६/२३/२००८  |  |
| ५४ | आशा स्वयंसेविका योजनेअंतर्गत Block Facilitator पदाच्या नियुक्ती बाबत   | ८/११/२००८  |  |
| ५५ | शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रम मार्गदर्शक सुचना   | २/८/२००८   |  |
| ५६ | शासन परिपत्रक - शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रम  | २/८/२००८   |  |
| ५७ | शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रमाच्या अमलबजावणीबाबत   | २/२५/२००८  |  |
| ५८ | शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रमाबाबत मार्गदर्शक सुचना  | ६/१८/२००८  |  |
| ५९ | शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रमाबाबत मार्गदर्शक सुचना  | ८/२०/२००८  |  |
| ६० | वाहनावर व शाळेत लावावयाच्या फलकांचे - नमुने  | ८/२०/२००९  |  |
| ६१ | २००७-०८ मध्ये झालेला खर्च आणि शस्त्रक्रियांचा जिल्हानिहाय अहवाल  | ९/२३/२००८  |  |
| ६२ | शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रमाच्या औषध खरेदी बाबत  | ५/२२/२००८  |  |
| ६३ | शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रमाच्या औषध खरेदी बाबतचे पत्र   | ९/९/२००८   |  |
| ६४ | शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रमांतर्गत गंभीर आजारावर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी करवयाचे कार्यवाहीबाबत   | ९/२५/२००८  |  |
| ६५ | शासन निर्णय - शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रमाचे समन्वय साधणेबाबत  | ९/३०/२००८  |  |
| ६६ | शालेय आरोग्य तपासणी योजनेतील इ. १ ली ते १० वी पर्यंतचे जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ देणे बाबत   | २/१४/२००९  |  |
| ६७ | शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रमाच्या औषध खरेदी बाबत  | ६/११/२००९  |  |
| ६८ | शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रमांतर्गत सन २००९-१० च्या मंजूर pip मधील Refferal Care & TA/DA for Refferal Services & Investigation या शिर्षकाबाबत | ७/२९/२००९  |  |
| ६९ | Constitution of Rugna Kalyan   | ७/२८/२००९  |  |

|    |  |            |  |
|----|--|------------|--|
|    | Samittee (Hospital Management Committees)  |            |  |
| ७० | रुग्ण कल्याण समितीच्या सभंमध्ये अशासकीय सदस्यांचे सहभाग - नोंदविणेबाबत.  | ६/९/२००९   |  |
| ७१ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील रुग्ण कल्याण समितीचे गठण  | २/२०/२००९  |  |
| ७२ | आरोग्य संस्थामध्ये पुरवावयाच्या सुविधा   | ७/१७/२००८  |  |
| ७३ | रुग्ण कल्याण समिती मार्गदर्शक सुचना  | ७/२/२००८   |  |
| ७४ | NRHM अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या RKS समितीमध्ये विधासभा/ विधापरिषद सदस्य यांना सहभागी   | ७/१/२००८   |  |
| ७५ | रुग्णांवर आकरण्यात येणारा सेवा शुल्क (User Fee) रुग्ण कल्याण समितीच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत                                | १२/१३/२००७ |  |
| ७६ | रुग्ण कल्याण समितीचे सलग खखाते चालविणे बाबत  | १०/१३/२००७ |  |
| ७७ | Rogi kalyan Samiti-need for stronger patitent welfre Focus   | १०/३१/२००७ |  |
| ७८ | NRHM Constitution RKS (Hospital management Committee) in primery health Centers  | १०/३१/२००७ |  |
| ७९ | NRHM Constitutions Of RKS (Hospital management Committee) inclusion of AYUSH Members   | १/९/२००७   |  |
| ८० | NRHM Constitutions of RKS(Hospital Management Committee)   | ५/४/२००६   |  |
| ८१ | NRHM Constitutions of RKS(Hospital Management Committee)   | १२/३०/२००५ |  |
| ८२ | राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत घ्यावयाची दुरुस्ती व ज्वीन बांधकामे   | ७/११/२००८  |  |
| ८३ | राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत घ्यावयाची दुरुस्ती व ज्वीन बांधकामे   | ९/२२/२००८  |  |
| ८४ | भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकानुसार राज्यातील निवडक रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन तसेच त्या अंतर्गत प्राप्त अनुदानाचा विनियोग करणेबाबत | १/१९/२००७  |  |
| ८५ | एन.आर.एच.एम. अंतर्गत अनुदान वाटपाबाबत  | ११/२३/२००७ |  |
| ८६ | एन.आर.एच.एम. अंतर्गत अनुदान वाटपाबाबत  | १२/५/२००७  |  |
| ८७ | एन.आर.एच.एम. अंतर्गत अनुदान  | १२/२६/२००७ |  |

|    |  |            |  |
|----|--|------------|--|
|    | वाटपाबाबत  |            |  |
| ८८ | IPHS अंतर्गत मंजूर झालेल्या मंजूर झालेल्या रुग्णालयात तज्ञ सेवा कंत्राटी पध्दतीवर घेण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना   | १/११/२००८  |  |
| ८९ | राज्यातील निवडक प्राथमिक आरोग्य केंद्र २४ X ७ IPHS श्रेणीवर्धीत करणे बाबत  | १/११/२००८  |  |
| ९० | IPHS चा दर्जा असलेल्या रुग्णालयांमधील पतुतेबाबत  | १/३०/२००८  |  |
| ९१ | IPHS योजनेअंतर्गत वैकिक उपकरणे व साधनसामग्री यांच्या खरेदीबाबत   | ७/२/२००९   |  |
| ९२ | ग्रामस्तरावरील *ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता* व ग्राम आरोग्य समिती* यांचे विलिनीकरण करून या विषयांसाठी ग्रामस्तरावर ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती* अशी एकच समिती गठीत करणे बाबत | १२/६/२००६  |  |
| ९३ | ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती अशी एक समिती गठीत करणेबाबत   | २/९/२००७   |  |
| ९४ | NRHM मध्ये स्वयंसहाय्यकता गटानां सहभागी करून घेणेबाबत.   | ८/२/२००७   |  |
| ९५ | सर्व महसुली गावामध्ये ग्राम आरोग्य पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती स्थापन करणेबाबत   | १२/१७/२००७ |  |
| ९६ | ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती, बबंधीत निधी व रुग्ण क्लयाण समिती निधीबाबत केंद्र शासनाकडून प्राप्त मार्गदर्शक सूचना   | ९/४/२००८   |  |

**कलम ४ (१) (क) (सहा)**  
**आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली या सार्वजनिक प्राधिकरणात उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांची यादी**

| अ.क्रं | विषय   | दस्तऐवज / नस्ती / नोंदवही यापैकी कोणत्या प्रकारात उपलब्ध | नस्ती क्र / नोंदवही क्र | तपशिल                   | किती काळापर्यंत ही माहिती सांभाळून ठेवली जाते? |
|--------|--|--|-------------------------|-------------------------|--|
| १      | शासन आदेश मुळ सेवापुस्तके, लॉगबुक, हिस्ट्रीसीट, स्टॉकबुक, डेडस्टॉक, रजि. गोपनीय अभिलेखा, नियोजन, व आरोग्य समिती सभा इति. नोंदवही, आवक-जावक - नोंदवह्या | नस्ती व नोंदवह्या  | -                       | विषयात नमुद केलेप्रमाणे | कायमस्वरूपी "अ" रेकॉर्ड                        |
| २      | वेतन देयके वैयतीक नस्त्या आस्थापना बाबी नस्त्या पत्रव्यवहार इ.   | नस्ती व्हौचर्स   | -                       | विषयात नमुद केलेप्रमाणे | ब रेकॉर्ड ३० वर्ष                              |
| ३      | प्रवासभत देयके, सादिल देयके कार्यविवरण   | नस्ती / व्हौचर्स   | -                       | विषयात नमुद केलेप्रमाणे | क रेकॉर्ड १० वर्ष                              |
| ४      | किरकोळ पत्रव्यवहार   | नस्ती  | -                       | विषयात नमुद केलेप्रमाणे | क १ रेकॉर्ड ५ वर्ष                             |

**कलम ४ (१) (ख) (सात)**

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली या सार्वजनिक प्राधिकरणात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी किंवा त्याची कार्यालयात अंमलबजावणी करण्यापूर्वी जनतेशी अथवा जनतेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याबाबत अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेचा तपशिल

| अ.क्रं | कोणत्या विषयासंबंधी सल्लामसलत | व्यवस्थेची कार्यपध्दती | संबंधित शासकीय निर्णय/ कार्यालयीन आदेश / राजपत्र वगैरेंचा क्रमांक व तारीख | पुनर्विलोकनाचा काळ (Periodicity) |
|--------|-------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|
| १      | निरंक                         |                        |   |                                  |



कलम ४ (१) (ख) (आठ) नमुना क

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली या सार्वजनिक प्राधिकरणातील समित्या, परिषदा, अथवा  
मंडळांच्या बैठकीचे तपशिल

| अ. क्रं | समिती, मंडळ वा परिषदेचे नांव           | समिती, मंडळ वा परिषदेची संरचना                      | समिती, मंडळ वा परिषदेचा उद्देश  | समिती, मंडळ वा परिषदेच्या बैठकीची वारंवारता | त्या बैठकीस उपस्थित राहण्याची जनतेस मुभा आहे का? | त्या बैठकीचे इतिवृत्त जनतेस पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे का? | त्या बैठकीचे इतिवृत्त कोणाकडे उपलब्ध असते.                                   |
|---------|--|---|---|---|--|--|--|
| १       | आरोग्य समिती<br>जिल्हा परिषद<br>सांगली | सभागृहाने<br>मान्यता<br>दिलेले<br>सभापती<br>व सदस्य | आरोग्य<br>विषयक<br>चर्चा धोरण<br>ठरवून<br>जि.प.सभेस<br>शिफारस<br>करणे | प्रति महिना १<br>बैठक                       | नाही   | आहे  | सदस्य सचिव,<br>आरोग्य समिती<br>सभा, आरोग्य<br>विभाग, जिल्हा<br>परिषद, सांगली |

कलम ४ (१) (ख) (नऊ)

आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद,सांगली या सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिका-यांची व कर्मचा-यांची यादी

| अ.क्रं | अधिकारपद              | अधिकारी वा कर्मचा-याचे नांव | वर्ग | या कार्यालयात रुजू झाल्याचा दिनांक | संपर्कासाठी दूरध्वनी / फॅक्स / ई-मेल                     |
|--------|-----------------------|-----------------------------|------|------------------------------------|--|
| १      | जि.आ.अ.               | डॉ.रामचंद्र हंकारे          | १    | २१.१०.१३                           | ०२३३-२३७३०३२<br>फॅक्स ०२३३-२३७४४६२<br>zpdhosan@yahoo.com |
| २      | अति.जि.आ. अ.          | डॉ.श्रीम.बी.के.दळवी         | १    | १/६/२०११                           | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ३      | जि.प्र.प.बा.अ.        | डॉ.बी.एस.गिरिगोसावी         | १    | १.७.२०१४                           | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ४      | सा.वै.अ.              | श्री.पी.पी.दोंडे            | ३    | २९/९/२००३                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ५      | डी.पी.एच.एन           | श्रीमती. व्ही.जी.आढाव       | ३    | १०/१०/२००६                         | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ६      | वि.आ.(सां)            | श्री.एन.एल.पुरोहित          | ३    | १५/५/२०००                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ७      | एन.एम.एस.             | श्री. ए. एस. पाटील          | ३    | २१/४/१९९४                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ८      | सांख्यिकी पर्यवेक्षक  | श्री ए.ए. जाधव              | ३    | ७.१.२०१४                           |  |
| ९      | सांख्यिकी अण्वेषक     | श्री. एस.एम.जाधव            | ३    | १३/६/२००७                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| १०     | आरोग्य पर्यवेक्षक     |                             | ३    |                                    | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ११     | आरोग्य पर्यवेक्षक     |                             | ३    |                                    | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| १२     | आरोग्य पर्यवेक्षक     | श्री. एस.व्ही.कोकरे         | ३    | २/४/२०१२                           | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| १३     | विस्तार अधिकारी (आयु) | श्री.जी.आर.परळीकर           | ३    | ११/७/२००८                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| १४     | औषध निर्माता          | श्री. आर. ए. लंगोटे         | ३    | २०/६/२००७                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| १५     | कक्ष अधिकारी          | सौ.एस.एस.माने               | ३    | ४.८.२०१४                           | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| १६     | अधिक्षक               | श्री. पी. बी. गायकवाड       | ३    | ६/७/२००४                           | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| १७     | अधिक्षक               | श्री के.एस.चौगुले           | ३    | १.८.२०१३                           |  |
| १८     | स.लेखाधिकारी          | श्री. ए. एस. मुळे           | ३    | १/९/२००७                           | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| १९     | क.लेखाधिकारी          | श्री. एस.एल.वनमोरे          | ३    | १०/८/२०१२                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| २०     | वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) |                             | ३    |                                    | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| २१     | तंत्रज्ञ              | श्री.एस.एस.मुजावर           | ३    | २०-५-२०१४                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| २२     | आरोग्य सहाय्यक (म)    |                             | ३    |                                    | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| २३     | आरोग्य सहाय्यक (पु)   | श्री. पी. ए. शिरोटे         | ३    | १/४/१९९८                           | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| २४     | आरोग्य सहाय्यक (पु)   | श्री. एस. डी. विभुते        | ३    | १६/६/२०००                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| २५     | आरोग्य कर्मचारी (पु)  | श्री. एस. एन. कोळी          | ३    | १४/५/१९९९                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| २६     | आरोग्य कर्मचारी (पु)  | श्री. आर. एस. गुरव          | ३    | १७/५/१९९९                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| २७     | आरोग्य कर्मचारी (पु)  | श्री. एम. आर. उगारे         | ३    | १६/७/२००२                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| २८     | आरोग्य कर्मचारी (पु)  |                             | ३    |                                    |  |
| २९     | आरोग्य कर्मचारी (पु)  | श्री. एस.एस.पाटील           | ३    | २१.५.२०१४                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ३०     | वरिष्ठ सहाय्यक लिपीक  |                             | ३    |                                    |  |
| ३१     | वरिष्ठ सहाय्यक लिपीक  | श्री डी.एम.कांबळे           | ३    | ४.९.२०१३                           | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ३२     | वरिष्ठ सहाय्यक लिपीक  | श्रीमती एस.एस.पवार          | ३    | १.१.२०१४                           | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ३२     | कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक  | श्री. आर.एच.मोरे            | ३    | २०/६/२०१२                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ३३     | कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक  | श्री.टी.एस.माळी             | ३    | १/७/२०११                           | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ३४     | कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक  | श्री. आर.डी.पवार            | ३    | २७/६/२०१२                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ३७     | कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक  | श्री.एफ.एन.दाते             | ३    | ३१/५/२००६                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ३८     | कनिष्ठ सहाय्यक लेखा   | श्रीमती एस.एन. बोदगिरे      | ३    | २.९.२०१३                           | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |
| ३९     | कनिष्ठ सहाय्यकलिपीक   | श्री. आय. आर. तांबोळी       | ३    | ११.९.२०१३                          | ----- वरीलप्रमाणे -----                                  |

|    |                  |                        |   |            |                         |
|----|------------------|------------------------|---|------------|-------------------------|
| ४१ | कनिष्ठ सहा.लिपिक | श्री एस.एस.पवार        | ३ | २५.५.२०१५  | ----- वरील प्रमाणे      |
| ४० | वाहनचालक         |                        | ३ |            | ----- वरीलप्रमाणे ----- |
| ४१ | वाहनचालक         | श्री. एस.व्ही.करोली    | ३ | २०/६/२०१२  | ----- वरीलप्रमाणे ----- |
| ४२ | वाहनचालक         | श्री. सी. ए. दबडे      | ३ | ५/७/१९९६   | ----- वरीलप्रमाणे ----- |
| ४३ | वाहनचालक         | श्री.एस.पी.भोसले       | ३ | १/७/२००८   | ----- वरीलप्रमाणे ----- |
| ४४ | वाहनचालक         | श्री.एस.एम.सोकटे       | ४ | २१/५/२०११  | ----- वरीलप्रमाणे ----- |
| ४५ | परिचर            | श्री. डी. डी. पवार     | ४ | १८/७/२००२  | ----- वरीलप्रमाणे ----- |
| ४६ | परिचर            | श्री. ए. टी. कोळी      | ४ | १०/७/१९९०  | ----- वरीलप्रमाणे ----- |
| ४७ | परिचर            | श्री. टी. के. जाधव     | ४ | १०/७/१९९०  | ----- वरीलप्रमाणे ----- |
| ४९ | परिचर            | श्रीमती. व्ही.ए.पाटील  | ४ | १५/६/२००७  | ----- वरीलप्रमाणे ----- |
| ५० | परिचर            | श्रीमती के.आर.कांबळे   | ४ | १/३/२००२   | ----- वरीलप्रमाणे ----- |
| ५१ | परिचर            | श्रीमती पी.ए.मुगळीकर   | ४ | ५/६/१९९९   | ----- वरीलप्रमाणे ----- |
| ५२ | परिचर            | श्रीमती एस.एस.महामुनी  | ४ | ७/१२/२००७  | ----- वरीलप्रमाणे ----- |
| ५३ | परिचर            | श्री. पी.एल.आवळे       | ४ | १/१/१९९०   | ----- वरीलप्रमाणे ----- |
| ५४ | परिचर            | श्रीमती एम.व्ही.कांबळे | ४ | १३/१०/२००६ | ----- वरीलप्रमाणे ----- |
| ५५ | परिचर            | श्री. एम.जी.जाधव       | ४ | १/६/२००८   | ----- वरीलप्रमाणे ----- |

**कलम ४ (१) (ख) (दहा)**  
**आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिका-यांचे व कर्मचा-यांचे**  
**पगार व भत्ते माहे डिसेंबर २०१४**

| अ. क्रं | नांव                    | अधिकार पद                | मूळ पगार   | महागाई भत्ता | घरभाडे भत्ता | विशेष शहर भत्ता | विशेष भत्ता, प्रवास भत्ता व प्रकल्प भत्ता | एकूण रक्कम |
|---------|-------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---|------------|
| १       | डॉ. रामचंद्र हंकारे     | जि.आ.अ.                  | ३९६५०      | ३९६५०        | ३९६५         | ०               | १३८७८                                     | ९७१४३      |
| २       | डॉ. श्रीम. बी. के. दळवी | अति. जि. आ. अ.           | ४२०७०      | ४२०७०        | ४२०७         | ०               | १४७२५                                     | १०३०७२     |
| ३       | डॉ. बी. एस. गिरीगोसावी  | जि. प्र. प. बा. अ.       | ४४४९०      | ४४४९०        | ४४४९         | ०               | १५५७२                                     | १,०९,००१   |
| ४       | श्री. पी. पी. दौंडे     | सा. वै. अ.               | १७१४०      | १७१४०        | १७१४         | ६००             | ५९९९                                      | ४२५९३      |
| ५       | श्रीमती. व्ही. जी. आढाव | डी. पी. एच. एन           | २४५४०      | २४५४०        | २४५४         | १८१०            | ४००                                       | ५२०९४      |
| ६       | श्री. एन. एल. पुरोहित   | वि. आ. (सां)             | २५६९०      | २५६९०        | २५६९         | ०               | १२००                                      | ५५१४९      |
| ७       | श्री ए. एस. पाटील       | अवैद्य. अ. (एन. एम. एस.) | १९७८०      | १९७८०        | १९७८         | ०               | ६००                                       | ५२००८      |
| ८       | श्री. ए. ए. जाधव        | एन. एम. एस.              | २१६५०      | २१६५०        | २१६५         | ०               | ४००                                       | ४५८६५      |
| ९       | श्री. एस. एम. जाधव      | सांख्यिकी अण्वेषक        | १२५९०      | १२५९०        | १२५९         | ०               | ४००                                       | २६८३९      |
| १०      |                         | आरोग्य पर्यवेक्षक        |            |              |              |                 |   |            |
| ११      |                         | आरोग्य पर्यवेक्षक        |            |              |              |                 |   |            |
| १२      | श्री. एस. व्ही. कोकरे   | आरोग्य पर्यवेक्षक        | १८७१०      | १८७१०        | १८७१         | १६५०            | २०००                                      | ४२९४१      |
| १३      | श्री. जी. आर. परळीकर    | विस्तार अधिकारी (आयु)    | २०४९०      | २०४९०        | ०            | ७१७२            | ६००                                       | ४८७५२      |
| १४      | श्री. आर. ए. लंगोटे     | मुख्य औषध निर्माता अ.    | २५०७०      | २५०७०        | २५०७         | ०               | ४००                                       | ५३०४७      |
| १५      | श्रीमती एस. एस. माने    | कक्ष अधिकारी             | १८२८०      | १८२८०        | १८२८         | ०               | ४००                                       | ३८७८८      |
| १६      | श्री. पी. बी. गायकवाड   | अधिक्षक                  | १८७४०      | १८७४०        | १८७४         | ०               | ४००                                       | ३९७५४      |
| १७      | श्री. के. एस. चौगुले    | अधिक्षक                  | १७६५०      | १७६५०        | १७६५         | ०               | ४००                                       | ३७४६५      |
| १८      | श्री. ए. एस. मुळे       | स. लेखाधिकारी            | २१९८०      | २१९८०        | २१९८         | ०               | ४००                                       | ४६५५८      |
| १९      | श्री. एस. एल. वनमोरे    | क. लेखाधिकारी            | १८५३०      | १८५३०        | १८५३         | ०               | ४००                                       | ३९३१३      |
| २०      | श्री डी. एम. कांबळे     | व. सहा. लिपीक            | १२५३०      | १२५३०        | १२५३         | ०               | ४००                                       | २६७१३      |
|         |                         |                          |            |              |              |                 |   |            |
| २२      | श्री. पी. ए. शिरोटे     | आरोग्य सहाय्यक (पु)      | २३१५०      | २३१५०        | २३१५         | १५००            | ६००                                       | ५०७१५      |
| २३      | श्री. एस. डी. विभुते    | आरोग्य सहाय्यक (पु)      | १९२१०      | १९२१०        | १९२१         | ०               | ४००                                       | ४०७४१      |
| २४      | श्री. एस. एन. कोळी      | आरोग्य कर्मचारी (पु)     | १४८७०      | १४८७०        | १४८७         | ०               | ४००                                       | ३१६२७      |
| २५      | श्री. आर. एस. गुरव      | आरोग्य कर्मचारी (पु)     | १४८७०      | १४८७०        | १४८७         | ०               | ४००                                       | ३१६२७      |
| २६      | श्री एस. एस. पाटील      | आरोग्य कर्मचारी (पु)     | १२२२०      | १२२२०        | १२२२         | ०               | ४००                                       | २६०६२      |
| २७      | श्री. एम. आर. उगारे     | आरोग्य कर्मचारी (पु)     | १६१३०      | १६१३०        | १६१३         | ०               | ४००                                       | ३४२७३      |
| २८      | श्रीमती एस. एस. पवार    | वरिष्ठ सहाय्यक लिपीक     | १३१००      | १३१००        | १३१०         | ०               | ४००                                       | २७९१०      |
| २९      | श्री. आर. एच. मोरे      | कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक     | ९८३०       | ९८३०         | ९८३          | ०               | ४००                                       | २१०४३      |
| ३०      | श्री. टी. एस. माळी      | कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक     | १३०४०      | १३०४०        | १३०४         | ०               | ४००                                       | २७७८४      |
| ३१      | श्री. आर. डी. पवार      | कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक     | १२५३०      | १२५३०        | १२५३         | ०               | ४००                                       | २६७१३      |
| ३२      | श्रीमती एस. एन. बोदगिरे | कनिष्ठ सहाय्यक लेखा      | ७९७०       | ७९७०         | ७९७          | ०               | ४००                                       | १७१३७      |
| ३३      | कु. एफ. एन. दाते        | कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक     | ९५४०       | ९५४०         | ९५४          | ०               | २०००                                      | २२०३४      |
| ३४      | श्री. आय. आर. तांबोळी   | कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक     | ८१५०       | ८१५०         | ८१५          | ०               | ४००                                       | १७५१५      |
| ३५      | श्री एस. एस. पवार       | क. सहा. लिपीक            | एल. पी. सी |              |              |                 |   |            |

|    |                       |          | प्राप्त नाही |       |      |    |     |       |
|----|-----------------------|----------|--------------|-------|------|----|-----|-------|
| ३६ |                       | वाहनचालक |              |       |      |    |     |       |
| ३७ | श्री. एस.व्ही.करोली   | वाहनचालक | १०४७०        | १०४७० | १०४७ | ५० | ४०० | २२७३७ |
| ३८ | श्री. सी. ए. दबडे     | वाहनचालक | १२८६०        | १२८६० | १२८६ | ५० | ४०० | २७४५६ |
| ३९ | श्री.एस.पी.भोसले      | वाहनचालक | ९९३०         | ९९३०  | ९९३  | ५० | ४०० | २१३०३ |
| ४० | श्री.एस.एम.सोकटे      | वाहनचालक | १०५९०        | १०५९० | १०५९ | ५० | ४०० | २२६८९ |
| ४१ | श्री. डी. डी. पवार    | परिचर    | ९९८०         | ९९८०  | ९९८  | ५० | ४०० | २१४०८ |
| ४२ | श्री. ए. टी. कोळी     | परिचर    | ११७५०        | ११७५० | ११७५ | ५० | ४०० | २५१२५ |
| ४३ | श्री. टी. के. जाधव    | परिचर    | ११७६०        | ११७६० | ११७६ | ५० | ४०० | २३०२० |
| ४४ | श्रीमती. व्ही.ए.पाटील | परिचर    | १०१४०        | १०१४० | १०१४ | ५० | ४०० | २१७४४ |
| ४५ | श्रीमती एस.डी.शिकलगाव | परिचर    | १०१४०        | १०१४० | १०१४ | ५० | ४०० | २१७४४ |
| ४६ | श्रीमती पी.एस.कांबळे  | परिचर    | ६२९०         | ५६६१  | ६२९  | ५० | १५० | १२७८० |
| ४७ | श्रीमती पी.ए.मुगळीकर  | परिचर    | १०१४०        | १०१४० | १०१४ | ५० | ४०० | १९८८० |
| ४८ | श्रीमती एस.एस.महामुनी | परिचर    | ७०९०         | ७०९०  | ७०९  | ५० | ४०० | १५३३९ |
| ४९ | श्री. पी.एल.आवळे      | परिचर    | ११७५०        | ११७५० | ११७५ | ५० | ४०० | २२५६० |
| ५० | श्री. एम.जी.जाधव      | परिचर    | ७९५०         | ७९५०  | ७९५  | ५० | ४०० | १७१४५ |
| ५१ | श्रीमती के.आर.कांबळे  | परिचर    | ११३६०        | ११३६० | ११३६ | ५० | ४०० | २४३०६ |

कलम ४ (१) (ख) (अकरा)

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली या सार्वजनिक प्राधिकरणासाठी दि.१ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च

२०१४ या काळासाठी मंजूर झालेल्या आणि खर्च झालेल्या रक्कमेचा तपशिल

| अ.क्रं | अंदाजपत्रकीय शीर्ष                             | मंजूर रक्कम<br>सन २०१४-<br>१५ करिता<br>(सर्व अंक<br>लाखात) | नियोजित वापर (येथे<br>क्षेत्रानुसार व कामानुसार<br>स्वतंत्र पानांवर माहिती<br>भरावी) माहे डिसें.१४<br>अखेरचा खर्च<br>(सर्व अंक लाखात) | शेरा (असल्यास) |
|--------|--|--|---|----------------|
| १      | प्राथमिक आरोग्य केंद्राची<br>बांधकामे          | २५०.००   | १७७.४७  |                |
| २      | प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे<br>बांधकामे          | ५०.००  | ९.०८  |                |
| ३      | प्रा.आ.केंद्र / उपकेंद्रे देखभाल व<br>दुरुस्ती | ७५.००  | ६९.९७   |                |
| ४      | प्रा.आ.केंद्राच्या औषधी अनुदा-<br>नात वाढ      | ७०.८०  | २०.५६   |                |
| ५      | प्रा.आ.उपकेंद्राच्या औषधी<br>अनुदानात वाढ      | ३८.४०  | ५.५२  |                |
| ६      | आयुर्वेद युनानी दवाखाना सुविधेत<br>वाढ         | ०  | ०   |                |

कलम ४ (१) (ख) (बारा) नमुना क

आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद,सांगली या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अनुदान वाटपाची पध्दत

|    |  |  |
|----|--|--|
| १  | या कार्यक्रमाचे वा योजनेचे नांव  | हृदयरोग, मुत्रपिंडरोपन व कर्करोग शस्त्रक्रिया व औषधोपचार आर्थिक मदत  |
| २  | लाभधारकांसाठी पात्रतेच्या अटी  | :: ग्रामीण भागातील रहिवासी असलेचा सरपंच यांचा मुळ दाखला<br>:: शासन मान्यता प्राप्त रूग्णालयाकडील खर्च प्रमाणपत्र व शस्त्रक्रियेची तारीख<br>:: उत्पन्नाचा दाखला<br>:: शस्त्रक्रिया झाली असलेस प्रमाणपत्र व रूग्णालय                                 |
| ३  | लाभ मिळविण्यासाठी असलेल्या पूर्वअटी  | अनु. क्रमांक १ मधील सर्व कागदपत्रे सादर करणे   |
| ४  | या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असलेली कार्यपध्दती   | अनु. क्रमांक १ मधील सर्व कागदपत्रे सादर करणे   |
| ५  | पात्रता ठरवण्याचे निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे  | अनु. क्रमांक १ मधील सर्व कागदपत्रे सादर करणे   |
| ६  | या योजनेतून मिळणा-या लाभांचा तपशिल (अनुदान अथवा अन्य काही मदत दिली जात असेल तर तोही तपशिल द्यावा)                      | :: हृदयरोग शस्त्रक्रिया मदत रक्कम रूपये १००००/- (अक्षरी रू. दहा हजार मात्र)<br>:: मुत्रपिंडरोपन शस्त्रक्रिया मदत रक्कम रूपये ७०००/- (अक्षरी रू. सात हजार मात्र)<br>:: कर्करोग शस्त्रक्रिया व औषधोपचार मदत र.रू. ७०००/- (अक्षरी रू. सात हजार मात्र) |
| ७  | अनुदानवाटपाची पध्दत  | अ.क्रं.१ मध्ये नमुद कागदपत्राचा पूर्तता केलेनंतर मदत रूग्णालयाच नांवे दिली जाते व शस्त्रक्रिया झाली असलेस लाभार्थीचे नांवे मदत दिली जाते यासाठी रूग्णालयाचे देयक अदा केलेची मुळ पावती सादर करणे बंधनकारक आहे.                                      |
| ८  | अर्ज कोठे करावा अथवा अर्ज करण्यासाठी कार्यालयात कोणाला भेटावे?   | जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय,जिल्हा परिषद,सांगली   |
| ९  | अर्जाबरोबर भरायची फी (असल्यास)   | कोणतेही शुल्क नाही   |
| १० | अन्य फी (असल्यास)  | कोणतेही अन्य फी नाही   |
| ११ | अर्जाचा नमुना (जेथे असा नमुना ठरवला असेल तेथे) जर अर्ज को-या कागदावर करुन भागणार असेल तर त्यावर अर्जदाराने किमान कोणती | को-न्या कागदावर लाभार्थीचा अर्ज  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | माहिती भरली पाहिजे,हेही स्पष्ट करावे.   |  |
| १२ | सोबत जोडायची परिशिष्ट नमुना असल्यास तो नमुना  | अनु. क्रमांक १ मधील सर्व कागदपत्रे सादर करणे   |
| १३ | त्या परिशिष्टांचा काही विशिष्ट नमुना असल्यास तो नमुना   | काही नाही  |
| १४ | कार्यवाहीबदल काही तक्रार असेल तर ती कोणाकडे करायची त्या अधिका-याचे पदनाम                          | १) मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद सांगली<br>२) मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सांगली |
| १५ | उपलब्ध रक्कमेचा तपशिल (उदाहरणार्थ,तालुकापातळीवर एवढी रक्कम,जिल्हापातळीवर एवढी रक्कम उपलब्ध वगैरे) | जिल्हा पातळी - रु.१०,००,०००/-  |

**कलम ४ (१) (ख) (चौदा)**

आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद,सांगली या सार्वजनिक प्राधिकरणात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध असलेली माहिती

| अ.क्रं | दस्तऐवज / नस्ती / नोंदवहीचा प्रकार | विषय   | कोणत्या प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात माहिती साठवलेली आहे? | ही माहिती ताब्यात असलेल्या व्यक्तीचे नांव |
|--------|------------------------------------|--|---|---|
| १      | ऑनलाईन                             | राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम प्रगती अहवाल व जन्म मृत्यु नोंदणी दरमहा ऑनलाईनद्वारे वरीष्ठ कार्यालयाकडे सादर केले जातात. | संगणकप्रणाली  | विषयानुसार जबाबदार संबधीत कर्मचारी        |



लम ४ (१) (ख) (पंधरा)

आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद,सांगली या सार्वजनिक प्राधिकरणात उपलब्ध असलेली माहिती

नागरिकांना पुरविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा

|   |    |   |
|---|----|---|
| भेटण्याच्या वेळेसंदर्भात माहिती             | :- | कार्यालयीन वेळेत सका. १० ते सायं ५.४५ वाजता                               |
| वेबसाईटविषयी माहिती                         | :- | -----   |
| कॉलसेंटर विषयी माहिती                       | :- | -----   |
| अभिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती   | :- | कार्यालयीन अभिलेख नोंदवहया  |
| कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती | :- | कार्यालयीन नस्ती  |
| नमुने मिळण्याबाबत उपलब्ध माहिती             | :- | स्वतंत्र विहित नमुना नाही परंतू स्वतःचे हस्ताक्षरात मदत मागणी अर्ज असावा. |
| सूचनाफलकाची माहिती                          | :- | कार्यालयात प्रदशीत करणेत आलेली आहे.                                       |
| ग्रंथालया विषयी माहिती                      | :- | नाही  |
| आपत्कालीन संपर्काची माहिती                  | :- | स्वतंत्र विभाग स्थापन केलेला आहे.   |

| अ.क्रं | उपलब्ध सुविधा   | वेळ              | कार्यपध्दती   | स्थान                | जबाबदार व्यक्ती                         |
|--------|---|------------------|---|----------------------|---|
| १      | हृदय,मुत्रपिंडरोपन, कॅन्सर,शस्त्रक्रिया व कॅन्सर उपचार आर्थिक मदत योजना | कार्यालयीन वेळेत | हृदय,मुत्रपिंडरोपन, कॅन्सर,शस्त्रक्रिया व कॅन्सर उपचार घेत असताना मदत रुग्णालयाचे नावावर पाठविली जाते किंवा बिलाची मुळ पावती सादर केले नंतर मदत रुग्णांचे नावे पाठविणेत येते. | जिल्हा परिषद, सांगली | श्री.एस.व्ही.कोकरे, आरोग्य सहाय्यक (पु) |

कलम ४ (१) (ख) (सोळा)

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अखात्यारीतील माहिती संदर्भात  
जन माहिती अधिकारी, सहाय्यक जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यांची  
तपशिलवार माहिती

नमुना क

जन माहिती अधिकारी

| अ. क्रं. | जन माहिती अधिका-याचे नांव | अधिकार पद                          | जन माहिती अधिका-याची कार्यकक्षा | संपूर्ण पत्ता / दूरध्वनी क्रमांक                               | ई-मेल आयडी (या कायद्यापुरताच) | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी               |
|----------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| १        | डॉ. बी.एस. गिरिगोसावी     | जिल्हा प्रजनन व बाल आरोग्य अधिकारी | सांगली जिल्हा ग्रामीण क्षेत्र   | आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद सांगली<br>फोन ०२३३-२३७३०३२ व २३७४४६२ | zpdhosan@yahoo.com            | मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी जि.प.सांगली |

नमुना ख

सहाय्यक जन माहिती अधिकारी

| अ. क्रं. | सहा.जन माहिती अधिका-याचे नांव | अधिकार पद                 | सहा. जन माहिती अधिका-याची कार्यकक्षा | संपूर्ण पत्ता / दूरध्वनी क्रमांक                               |
|----------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| १        | सौ.स्वप्नाली माने             | प्रभारी प्रशासकिय अधिकारी | सांगली जिल्हा ग्रामीण क्षेत्र        | आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद सांगली<br>फोन ०२३३-२३७३०३२ व २३७४४६२ |

नमुना ग

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

| अ. क्रं. | प्रथम अपीलीय प्राधिका-याचे नांव | अधिकार पद             | प्रथम अपीलीय प्राधिका-याची कार्यकक्षा | अहवाल देणारे जन माहिती अधिकारी | ई-मेल आयडी (या कायद्यापुरताच) |
|----------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| १        | डॉ.रामचंद्र हंकारे              | जिल्हा आरोग्य अधिकारी | सांगली जिल्हा ग्रामीण क्षेत्र         | डॉ. बी.एस.गिरिगोसावी           | zpdhosan@yahoo.com            |

**कलम ४ (१) (ग) (सतरा)**

आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद,सांगली या सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये जनतेच्या जिद्दाळाचाचे नित्यनियमित निर्णय आणि काही महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय.

**शुध्द पाणी संकल्पना**

- स्वच्छ दिसणारे पाणी शुध्द व निर्जंतूक असेलच असे नाही.
- स्वच्छ व निर्मळ दिसणा-या पाण्यामध्ये मानवास हानीकारक ठरू शकणारे कोटयावधी रोग जंतू असू शकतात.
- पिण्यासाठी व स्वयंपाकासाठी वापरावयाचे पाणी नियमितपणे निर्जंतूक करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

## पाणी विविध ४ प्रकारांमुळे दूषित असू शकते ते असे -

**भौतिक** :- गढूळपणा, वास, चव

**रासायनिक** :- विषारी :- फ्लोराईड, आर्सेनिक इ.

**अविषारी घटक** :- कठीणपणा, खारटपणा, लोह इ.

**जैविक** :- जीवजंतू, जीवाणू, कृषी इ. आणि

**किरणोत्सर्ग** :- सांडपाण्याद्वारे किरणोत्सारी पदार्थ पिण्याच्या पाण्यात विरघळणे.

## पाणी दूषित होण्याची कारणे :-

नदी, नाले, ओढे, झरे, तळे, बंधारे यांचे पाणी खालील प्रकारे अशुध्द होते.

१. पात्रात किंवा काठावर शौचास बसल्याने.
२. आंघोळ केल्याने.
३. पोहल्याने.
४. कपडे धुतल्याने.
५. गुरे, जनावरे धुतल्याने.
६. वाहन, गाडी धुतल्याने.
७. कारखान्यातील टाकाऊ, रासायनिक द्रवे, टाकाऊ पाणी नदीत सोडल्याने.
८. गावातील सांडपाणी, मलमूत्र व गटारातील पाणी नदीत सोडल्याने.
९. मानव, पशु, पक्षी, यांचे मृतदेह पाण्यात सोडल्याने.
१०. धार्मिक विधी, मूर्ती विसर्जन, पूजेचे साहित्य, फुले, (निर्माल्य) नदीत टाकल्याने.
११. नदीच्या किंवा कॅनालच्या काठावर वस्ती किंवा जनावरांचे गोठे असल्यास.

## पाणी दूषित होऊ नये म्हणून घ्याची काळजी

- ❖ सार्वजनिक विहीर, तळे, नळ कोंडाळे यांच्या आसपास गुरे इ ढोरे धुणे, आंघोळी करणे, धुनी - भांडी इ. गोष्टी टाळाव्यात.
- ❖ जिथुन आपण पिण्याचे पाणी भरतो त्याच्या आसपास शौचाला बसू नये.
- ❖ पाण्याच्या स्रोताजवळ खत खड्डे शोष खड्डे इ. घेऊ नये.
- ❖ विहीरीचे कढडे व पाण्याच्या स्रोताच्या आसपासचे बांधकाम व्यवस्थित झालेले असेल हे पहावे. गावातील कचरा व सांडपाणी यांची विल्हेवाट योग्य प्रकारे लावावे जेणेकरून पाण्याचे स्रोत दूषित होणार नाहीत.सर्व स्रोतां मधील पाण्याचे नमूने घ्यावेत.
- ❖ पाण्याची नियमित तपासणी करावी.आणि हे पाणी पिण्यास योग्य आहे की नाही याची खात्री करावी.
- ❖ सार्वजनिक पाणी पुरवठा असलेले पाणी नियमित निर्जंतुक करावे.
- ❖ पिण्याच्या पाण्याच्या साठयाजवळ गुरांचा गोठा असू नये.पिण्याच्या पाण्यात जनावरांचे मलमूत्र व गोठ्यातील केरकचरा मिसळणार नाही याची काळजी घ्यावी.
- ❖ उद्भव योग्य आहे किंवा अयोग्य आहे याचा फलक लावावा.